

भुवनेश कुमार,  
सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिल्हाधिकारी,

औरंगाबाद, गोंडा, इटावा, आजमगढ, इलाहाबाद, भावस्ती, हरदोई, रायबरेली, बलिया, गोरखपुर,

मुलतानपुर, मैनपुरी, मिर्जापुर, हापुड, मुरादाबाद, संतकबीरनगर, कन्नौज, लखनऊ, शान्ती नगर

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग

लखनऊ दिनांक 25 फरवरी 2015

विद्यमान प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के सम्बन्ध में।

सहायक,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विहीन संलग्न सूची में अंकित तहसीलों/विकास खण्डों में कम से कम एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने का संवैधानिक निर्णय लिया गया है। उक्त तहसीलों/विकास खण्डों में अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, बिजली, पानी आदि के दृष्टिगत संलग्न सूची में प्रथमतया वर्णित तहसील के मुख्यालय एवं जिन तहसीलों के विकास खण्ड उल्लिखित किये गये हैं। उनकी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण हेतु मानक के अनुसार 02 से 05 एकड़ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। जिन तहसीलों के संश्लेषण सूची में विकास खण्डों का उल्लेख नहीं किया गया है। उनमें तहसील मुख्यालय पर भूमि की उपलब्धता न हो पाने की स्थिति में उस तहसील के विरुद्ध बड़े विकास खण्ड में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि भूमि आबादी से दूर न हो, जिससे परिकल्पितों को आने-जाने में असुविधा न हो।

संलग्न सूची के क्रमांक 17, 18, 19 एवं 20 पर उल्लिखित तहसीलों में स्थापित किये जाने वाले संस्थानों के लिए भूमि का चयन करते समय इस बात का अनिवार्य रूप से ध्यान दिया जाये कि तहसील के विकास खण्डों में अत्याधुनिक पानी की आबादी वाहक वाले नगरीय/ग्राम समूह क्षेत्र में ही हो ताकि जनसंख्या व सर्वांगीण विकास को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।

अतः प्रस्तुत तहसीलों/विकास खण्डों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर उसकी सूचना शासन को निर्देशित प्रशिक्षण एवं संयोजन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को 01 सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कार्य सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)

सचिव।

संख्या-10/2015-01 (एसएनडी/2013) तददिनांक

उक्त निर्देशक, प्रशिक्षण एवं संयोजन शासन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ संश्लेषण सूची में उल्लिखित तहसीलों/विकास खण्डों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु इस निर्देश भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए कृपया सूचना शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

आजा में

(अमिता शर्मा)

विशेष सचिव।

दिनांक 25-2-15

संख्या-655(2)/89-व्या०शि० एवं वी०वि०वि०-2015-01(एसएनई) 2013 दिनांक 14 फरवरी, 2015

क्रमांक	जनपद का नाम	तहसील/ब्लाक का नाम
1	2	3
1	औरिया	सदर
2	गोण्डा	करनैलगंज (विकास खण्ड-परसपुर)
3	इटावा	ताखा
4	राजमगढ़	मेहनगढ़
5	इलाहाबाद	सोराव
6	वायस्ती	इटावा
7	सटाई	बडराया (विकास खण्ड-सिंघवा)
8	वायवली	वांसडी
9	बलिया	सहजनवा
10	गोरखपुर	लम्भवा
11	गुलतानपुर	भीराव
12	मैनपुरी	जार(विकास खण्ड जमानपुर)
13	मिर्जापुर	विवाहा (विकास खण्ड-सीरिहा)
14	कन्नौज	सदर (फिजलनगंज)
15	बखनस	विकास खण्ड-शामली
16	शामली	शौतला
17	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा
18	सुत सरीरनगर	बलीलाबाद
19	मऊ	घोसी

(अनिता श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव